

प्रेस-विज्ञप्तिथाना तरवाँ

742 पेटी बाम्बे विस्की नाजायज शराब (कीमत लगभग 30 लाख रूपए) ,एक अदद स्विफ्ट कार व एक पिपिया बरंग जिसमें करीब 05 लीटर मिक्चर घोल एक बोतल प्लास्टिक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2021 को समय करीब 12.10 बजे दिन में प्रभारी निरीक्षक तरवाँ मय प्रभारी निरीक्षक निजामबाद व स्वाट टीम प्रभारी मय हमराह के साथ मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम फट्टूपुर में श्रीमातवर सिंह इण्टर कालेज फट्टूपुर आजमगढ़ में दबिश दिया गया तो उपरोक्त स्कूल के कार्यालय से नाजायज शराब की डिग्री बढ़ाने हेतु शराब में मिलावट, अभियुक्त अमरदीप सिंह पुत्र स्व० हवलदार सिंह सा० फट्टूपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ व अन्य 05 लोग द्वारा किया जा रहा था। जिसमें से अभियुक्त अमरदीप सिंह उपरोक्त मौके से गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 05 लोग एक स्कार्पियों व एक डीसीएम के साथ फरार हो गए। तलाशी में स्कूल कार्यालय से 739 पेटी बाम्बे विस्की नाजायज शराब व एक पिपिया बरंग जिसमें करीब 05 लीटर मिक्चर घोल एक बोतल तथा स्कूल कार्यालय के बाहर से एक स्विफ्ट कार न० UP44Z 4040 जिसमें 03 पेटी नाजायज शराब लदा बरामद हुआ। उपरोक्त नाजायज शराब की कीमत लगभग 30,000,00 रू०(30 लाख रूपया) है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 05/2021 धारा 419/420/467/468/471/272 भा०द०वि० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अमरदीप सिंह पुत्र स्व० हवलदार सिंह सा० फट्टूपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

742 पेटी बाम्बे विस्की नाजायज शराब ,एक अदद स्विफ्ट कार न० UP44Z 4040 व एक पिपिया बरंग जिसमें करीब 05 लीटर मिक्चर घोल एक बोतल प्लास्टिक

पंजीकृत अभियोग -

मु०अ०सं० 05/2021 धारा 419/420/467/468/471/272 भा०द०वि० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम ,थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्तगण -

1. संदीप सिंह उर्फ डिम्पू पुत्र स्व० जितेन्द्र सिंह सा० नदवाँ थाना तरवा आजमगढ़
2. लालू मौर्या पुत्र शिवलाल मौर्या सा० जमुवाँ थाना तरवा आजमगढ़
3. शिवलाल मौर्या पुत्र बाशू लाल मौर्या सा० जमुवाँ थाना तरवाँ आजमगढ़
4. अन्य 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ डिम्पू सिंह सा० नदवाँ थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

1. मु०अ०सं० 619/2009 धारा 302/307 भा०द०वि० थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 620/2009 धारा 4/25 A.ACT थाना तरवाँ आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 311/2013 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
4. 40/2016 धारा 147/323/332/333/353/504/506/308 भादवि व 7 CLA थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
5. 11/2020 धारा 302 भा०द०वि० थाना तरवाँ आजमगढ़
6. मु०अ०सं० 12/2020 धारा 419/420 भा०द०वि० व 60/60A/63/72अ EX.ACT व 61/63 कापी राइट एक्ट थाना तरवाँ आजमगढ़
7. मु०अ०सं० 05/2021 धारा 419/420/467/468/471/272 भा०द०वि० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम ,थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक तरवाँ मय हमराह
2. प्रभारी निरीक्षक निजामबाद मय हमराह
3. प्रभारी स्वाट टीम मय फोर्स